पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर नेठवा
अनुवान इन्द्राज सिंह बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 200/2025
निर्णय दिनांक 27/06/25

इन्द्राज सिंह पुत्र फूसाराम नुईया जाति जाट निवासी भलाऊ ताल तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार साहवा जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

—::निर्णय::—

प्रार्थी द्वारा नायब तहसीलदार साहवा के समक्ष पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर नेठवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 12 खसरा सं. 217 तादादी 3.5912 हैक्ट., खसरा नं. 551/238 तादादी 0.0379 हैक्ट., खसरा नं. 761/504 तादादी 0.2529 हैक्ट., खसरा नं. 788/238 तादादी 5.9937 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम भलाऊ ताल में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फुसाराम दर्ज है जो कि गलत है सही नाम इन्द्राज सिंह पुत्र फुसाराम नुईयां है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम इन्द्राज सिंह पुत्र फुसाराम नुईयां किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम भलाऊ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 12 खसरा सं. 217 तादादी 3.5912 हैक्ट., खसरा नं. 551/238 तादादी 0.0379 हैक्ट., खसरा नं. 761/504 तादादी 0.2529 हैक्ट., खसरा नं. 788/238 तादादी 5.9937 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम इन्द्राज पुत्र फुसाराम Delete कर इसके स्थान पर इन्द्राज सिंह पुत्र फुसाराम नुईयां अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/06/25 को कैम्प कोर्ट नेठवा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)